

**मांग संख्या 24**  
**मुख्य शीर्ष 3054**

**मद क्रमांक 1**

राज्य शासन द्वारा राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु केन्द्र शासन से पर्याप्त राशि न मिलने के कारण राज्य के स्वयं के संसाधन से रूपये 250.00 लाख का अतिरिक्त प्रावधान अनुरक्षण हेतु करने का निर्णय लिया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।